प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 21 नवम्बर, 2019**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री सर्वेश, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30094/प्रोबे0अनु0(2)-208/सला0समिति/ (एम 19-09-2019) दिनांक 30-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री सर्वेश, जो- मोहिद्दीनपुर, थाना-कम्पिल, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-27,28/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 5/7 सी0एल0ए0 एक्ट व 25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 06.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया । बन्दी द्वारा दिनांक 10.07.2019 तक 17 वर्ष 02 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 03 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा अपनी आख्या में बन्दी द्वारा द्वारा भविष्य में पुन: अपराध किये जाने से इंकार न किये जाने, अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। बंदी के संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु अस्पष्ट अभिमत दिया गया है ।

बंदी ने पिता की हत्या के प्रतिशोध में दिनांक 17.09.2001 को सहअभियुक्त के साथ मिलकर 02 व्यक्तियों की देशी तमन्चा, टकोरा कुल्हाड़ी मार कर हत्या कर दी। सलाहकार समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जघन्यता के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह पुत्र श्री सर्वेश को रिहा किये जाने की संस्तुति सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सिंह (बन्दी संख्या-19392) पुत्र श्री सर्वेश, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-155/2019/2715(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।